

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
 पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 24/2020 (गुंडा एक्ट)

उत्तमान राज्य सरकार जय थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुकत जिला कोटा
 ग्रामीण (राज0)

बनाम निराल पुत्र बालमुकन्द जाति मंडर उम्र 20 साल निवासी महावीर कोलोनी
 सुकत थाना सुकत, जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)
 राजस्थान गुंडा
 नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 29.11.2024



थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुकत जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जय पुलिस
 अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आदेश के साथ पेश किया गया कि शिरसायल निराल
 पुत्र बालमुकन्द जाति मंडर उम्र 20 साल निवासी महावीर कोलोनी सुकत थाना सुकत, जिला
 कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के
 अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक
 बनाकर रहता है। शिरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर मध्यस्थ रहते
 हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे
 आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साथ ही देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते
 हैं। शिरसायल के विरुद्ध अपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट नं० व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	13/2020	13 आरपीजीआ	08/15.1.2020	सजा
2.	100/2020	13 आरपीजीआ	85/23.3.2020	सजा

अतः शिरसायल निराल पुत्र बालमुकन्द जाति मंडर उम्र 20 साल निवासी महावीर कोलोनी
 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

शिरसायल निराल पुत्र बालमुकन्द जाति मंडर उम्र 20 साल निवासी महावीर कोलोनी
 सुकत थाना सुकत, जिला कोटा राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही
 हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी शिरसायल की गई।

उक्त शिरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया।
 बाद तामील नोटिस उपस्थित उक्त शिरसायल द्वारा आज स्वयं स्वीकृत रूप से एक प्रार्थना पत्र
 प्रस्तुत किया कि वह प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त इस्तगामासा कार्यवाही में अतिक्रमण की
 सची से सहमत है। प्रार्थी वर्तमान में थाना पूर्वक अपना मजदूरी/अवसाय कर अपने एवं
 परिवार का मरग पोषण कर रहा है। प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही से अदालत में
 बार-बार हाजिर होने के कारण अपने मजदूरी/अवसाय करने में आर्थिक हानि हो रही है।
 अतः निर्दोष है कि प्रार्थी के विरुद्ध विचारार्थीन गुंडा एक्ट की कार्यवाही निहित कर समाप्त
 करने की कृपा करे।

आति. जिला कलेक्टर
 कोटा

